

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
 वीवासीन अधिकारी:- रमेश देव आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:- 101/2023
 वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:- 53 आरटीए

1. संदीप कुमार पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. राजबाला पत्नी संदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
 -वादीगण

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र संदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
2. किशोरी लाल पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
3. इन्द्रादेवी पुत्री गीतादेवी जाति बिश्नोई निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
4. विजय कुमार पुत्र गीतादेवी जाति बिश्नोई निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
5. संजय कुमार पुत्र गीतादेवी जाति बिश्नोई निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरीपुरा।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
 -प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता - वादीगण
2. श्री कन्हैयालाल स्वामी अधिवक्ता- प्रतिवादीगण



अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व संयुक्त खाता चक नं. 4 एचआरपी खाता संख्या 15/10 व 16/13 के खातेदार काश्तकार है वादी नं. 1 संदीप कुमार चक नं. 4 एचआरपी खाता संख्या 16/13 में कुल खाता 2,530 है. मे से 609/1265 हिस्सा यानि 1.218 है. का वादीया नं. 2 राजबाला चक नं. 4 एचआरपी खाता संख्या 15/10 में कुल खाता 4.048 है. मे से 1/3 हिस्सा यानि 1.349 है. के खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व अपनी खातेदारी कृषि भूमि का हक हिस्सानुसार काश्त की सुविधा के अनुसार घरू तोर पर बंटवारा कर लिया था व घरू भूमि का हक हिस्सानुसार बंटवारा कर लिया था व अपनी-अपनी कब्जा काश्त कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है हम वादीगण की कब्जा काश्त कृषि भूमि की राजस्व गिरदावरी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीगण व प्रतिवादीगण का अब आपस में सीव बट व रकम राज का सदैव ही झगडा बना रहता है इस कारण वादीगण अब अपना खाता सांझा नहीं रखना चाहते है व अर्सा दराज पूर्व हुए घरू बंटवारा व प्राप्त कब्जा काश्त के मुताबिक खाता तक्सीम करवाकर रकमराज अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करने से कतई इन्कार कर हो गए। यही विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी साधारण सम्मन से करवाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 6 की ओर से ऋण मुक्त प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार भूमि हक व हिस्सा में आई:-

वादी नं. 1 संदीप कुमार व वादीया नं. 2 राजबाला व प्रतिवादी सं. 1 सुनील कुमार के हिस्सा में चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 पं. नं. 189/114 मु.नं. 43 कि.नं. 4/0.253, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 7/0.253 है. व प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. रास्ता व 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता 5/1/0.202, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/3/0.026 गै.मु. खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 7 ता 9/0.759, 10/0.228 है. 14/0.243 कुल 3.760 नहरी मय गै.मु. व प्रतिवादी 2 किशोरी लाल के हिस्सा में चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं. 9/0.003, 10/0.025, 13/0.200 है. व इसी चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 16/13 पं.नं. 189/114 मु.नं. 43

प्रशासन गाँवी के संप अधिवक्ता, 2023
 शिविन प्रगरी (SDO)
 शिविर स्थल, खानगढ़

किला, 25/1/0.228 है, 25/2/0.025 है गैमु. रास्ता, प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं 12/0.253, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गैमु. खाला, 17 ता 19 /0.759 है, 22 ता 24/0.759, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गैमु. खाला इस प्रकार कुल 2.758 है. नहरी मय गैमु. कृषि भूमि व प्रतिवादीगण 3 ता 5 के हिस्सा में चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 में प. नं. 190/114 मु.नं. 42 कि.नं. 13/0.053 है, 14/0.040 है. कुल 0.093 है. बहिब कृषि भूमि। अतः मुताबिक राजीनामा चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 में प्रतिवादी नं. 2 किशोरीलाल का 1.121 है. हिस्सा कम किया जाकर खाता संख्या 16/13 में जोडा जावे। व चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 16/13 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 5 का नाम कलमजन कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 ता 5 का हिस्सा खाता संख्या 15/10 में बढ़ाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि वाद में राजीनामा पेश किया गया है। अतः उक्तानुसार राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र निम्नानुसार डिग्री किया जाता है:-

वादी नं. 1 संदीप कुमार व वादीया नं. 2 राजबाला व प्रतिवादी सं. 1 सुनील कुमार के हिस्सा में:-

चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 पं. नं. 189/114 मु.नं. 43 कि.नं. 4/0.253, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गैमू रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गैमु. रास्ता, 7/0.253 है. व प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैमु रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैमु रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैमु. रास्ता व 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैमु. रास्ता 5/1/0.202, 5/2/0.025 गैमु. रास्ता, 5/3/0.026 गैमु. खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गैमु. खाला, 7 ता 9/0.759, 10/0.228 है., 14/0.243 कुल 3.760 नहरी मय गैमु.

प्रतिवादी 2 किशोरी लाल के हिस्सा में :-

चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं. 9/0.003, 10/0.025, 13/0.200 है. व इसी चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं 16/13 पं.नं 189/114 मु.नं. 43 किला, 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है गैमु. रास्ता, प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं 12/0.253, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गैमु. खाला, 17 ता 19 /0.759 है, 22 ता 24/0.759, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गैमु. खाला इस प्रकार कुल 2.758 है. नहरी मय गैमु. कृषि भूमि

प्रतिवादीगण 3 ता 5 इन्द्रा देवी, विजय कुमार, संजय कुमार के हिस्सा में :-

चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 में प. नं. 190/114 मु.नं. 42 कि.नं. 13/0.053 है., 14/0.040 है. कुल 0.093 है. बहिब कृषि भूमि।

अतः उक्तानुसार भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। राजीनामा निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

नोट:- यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक रहन है तो ऋण चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर, सुबिम्यान, 2023
उपखण्ड अधिकारी, संत (रिजिड)
शिविर स्थल, टांगरद

वादा में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:-रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 101/2023



1. संदीप कुमार पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
2. राजबाला पत्नी संदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ ।

-वादीगण

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र संदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया ।
2. किशोरी लाल पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया ।
3. इन्द्रादेवी पुत्री गीतादेवी जाति बिश्नोई निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
4. विजय कुमार पुत्र गीतादेवी जाति बिश्नोई निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
5. संजय कुमार पुत्र गीतादेवी जाति बिश्नोई निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरीपुरा ।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री कन्हैयालाल स्वामी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं वाद वादीगण निम्नानुसार अंतिम डिग्री किया जाता है:-

वादी नं. 1 संदीप कुमार व वादीया नं. 2 राजबाला व प्रतिवादी सं. 1 सुनील कुमार के हिस्सा में:-

चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 पं. नं. 189/114 मु.नं. 43 कि.नं. 4/0.253, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गैमू रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गैमू रास्ता, 7/0.253 है. व प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गैमू रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैमू रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैमू रास्ता व 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैमू रास्ता 5/1/0.202, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/3/0.026 गै.मु. खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला, 7 ता 9/0.759, 10/0.228 है., 14/0.243 कुल 3.760 नहरी मय गै.मु.

प्रतिवादी 2 किशोरी लाल के हिस्सा में :-

चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं. 9/0.003, 10/0.025, 13/0.200 है. व इसी चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 16/13 पं.नं. 189/114 मु.नं. 43 किला, 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है गै.मु. रास्ता, प.नं. 190/114 मु.नं. 42 किला नं. 12/0.253, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. खाला, 17 ता 19 /0.759 है., 22 ता 24/0.759, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला इस प्रकार कुल 2.758 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादीगण 3 ता 5 इन्द्रा देवी, विजय कुमार, संजय कुमार के हिस्सा में :-

चक नं. 4 एचआरपी के खाता नं. 15/10 में प. नं. 190/114 मु.नं. 42 कि.नं. 13/0.053 है. 14/0.040 है. कुल 0.093 है. बहिब कृषि भूमि।

अतः उक्तानुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक रहन है तो ऋण चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अमल दरामद किया जावे। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 03/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

नोट:- वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की

कब्जा काश्त में प. नं. 190 मु.

नं. 42 कि. नं. 9/0.250 व कि. नं.

14/0.213 है. शुद्ध किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर अभियान 2023
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
शिबिर स्थल, डानगढ़

प्रमाणित करने के लिए अधिकारी, 2023
निर्दिष्ट प्रमाण (SPO)
निर्दिष्ट स्थल, डानगढ़
दिनांक